जिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 दिसम्बर, 1989/2 पौष, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0- डेव-सैक्शन/89—क्योंकि श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगड़ा-थाच, विकास खण्ड सिराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 2318.00 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे ह जो सरासर हिमाचल प्रदश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगड़ा-थाच, विकास खण्ड सिराज (जंजैहली), ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ म हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगड़ा-थाच, विकास खण्ड सिराज, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित कि जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89.—क्योंकि श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छप्पराहण, विकास खंड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 3606.35 रुपय अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छप्पराहण, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 क नियम 77 में निहित हैं श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छप्पराहण, विकास खण्ड मोहर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होन की तिथि से 15 दिनों क भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0 डैव-सैक्शन/89.—क्योंकि श्री जय सिंह, प्रधान ग्रामपंचायत कोठुआं, विकास खण्ड, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 16285.89 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रख हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री जय सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोठुआं, विकास खण्ड, धर्मपुर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बन रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री जय सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोठुआं, विकास खण्ड, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओं नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89.—क्योंकि श्री मोती राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सिराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदश न पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 2619.19 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रख ह जो सरासर हिमाचल प्रदश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री मोती राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सिराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका उप-प्रधान जैसे पद पर बन रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री मोती राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सिराज (जन्जैहली), जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89.—क्योंकि श्री इन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सद्धयाणा, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 132.90 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री इन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सद्धयाणा, विकास खण्ड रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री इन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सद्धयाणा, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89—क्योंकि श्री दुर्गा सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत निचला लोट, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 861.50 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री दुर्गा सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत निचला लोट, विकास खण्ड रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री दुर्गा सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत निचला लोट, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष म कुछ नहीं कहना चाहता ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0बी0(6)6/77-I.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0बी0 (6)6/77-I, दिनांक 19-10-88 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करने के उपरान्त श्री लालमन गुप्ता, उप-निदेशक, पंचायती राज की तदर्थ नियुक्ति को 31-12-1989 तक अथवा नियमित पदोन्नति तक जो भी पहले हो बढ़ाने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

यह प्रबन्ध बिल्कुल अस्थाई है तथा इसके फलस्वरूप किसी तरह का लाभ वरिष्ठता तथा अन्य सेवा मामलों म नहीं मिलेगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।